पेयजल सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के आयड स्थित कोठारियों के मोहल्ले में पिछले एक सप्ताह से पीने का पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आस पास के मोहल्ले में सप्लाई हो रही है लेकिन उनके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। पानी के कैम्पर मंगवाने को मजबूर है। आयड के कोठारियों के मोहल्ले में मंगलवार की रात को जमा हुए क्षेत्रवासियों ने अपना दर्द बयां किया। पानी नहीं होने से परेशानी हो रही है, पानी के कैम्पर लेकर प्यास बुझा रहे है।लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ऑफिस में शिकायत की। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। कनिष्ठ अभियंता से भी शिकायत की लेकिन अनसुना कर दिया। हमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज करा दीजिए। मोहल्ले के रामेश्वर नागदा ने बताया कोठारियों के मोहल्ले में करीब एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है। जेईएन से बात करते है तो कहते है कि ऊपर शिकायत कर दीजिए। उन्होंने बताया कि वार्ड 62 के इस इलाके में पानी नसीब नहीं होने से लोगो को बहुत परेशानी हो रही है ।

सड़क पर टेन्ट लगाकर किया अतिक्रमण, दिए नोटिस

उदयपुर, (कासं)। शहर की सडकों पर टेंट लगाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर व्यापारियो ने अपनी दुकान के बाहर 200 से 500 फीट टेंट लगाकर अतिक्रमण कर व्यापार किया जा रहा है, त्यौहारी समय के कारण यातायात अधिक है वहीं दूसरी ओर किए गए अतिक्रमण के कारण लगातार आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसी के चलते टेंट लगाने वाले व्यापारियों को निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि विगत कुछ वर्षो से दुकानों के आगे सडक पर टेन्ट लगाकर मिठाई काउन्टर, पटाखा बाजार लगाने की प्रवृति बढी हैं। जिससे यातायात बाधित होने से त्यौहारों पर आम जनता को परेशानी का सामना करना पडता है। कुछ समय पहले समाचार पत्रों के माध्यम से शहर के व्यापारियों से अपील की गई कि सडक पर अतिक्रमण कर टेन्ट लगाकर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर यातायात बाधित नहीं करे। अपील के बावजूद रामजी स्वीट्स विश्वविद्यालय मार्ग जितेन्द्र द्वारा 48० वर्गफिट, चावला जनरल स्टोर ग्लास फेक्ट्री राजेश चावला द्वारा 172 वर्गफिट, कृष्णा मिष्ठान प्रतापनगर चौराहा मदनलाल द्वारा 520 वर्गफिट, न्यू नागदा मिष्ठान भण्डार ग्लास फेक्ट्री धनश्याम ब्राहमण द्वारा 225 वर्गफिट, दीपक मिष्ठान भण्डार ग्लास फेक्ट्री चौराहा सत्यनारायण साहू द्वारा 450 वर्गफिट, खण्डेलवाल केटर्स सुन्दरवास ललित चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा 210 वर्गफिट, कल्याण जनरल स्टोर एवं सुपर मार्केट न्यू अशोक विहार रोहन दोषी द्वारा 462 वर्गफिट, सुभाष चौराहा से दुधिया गणेश जी रोड शांति श्रृंगार स्टोर कन्हैयालाल द्वारा 225 वर्गफिट, सुभाष चौराहा देव श्री कलेक्शन द्वारा 225 वर्गफिट, प्रतापनगर चौराहा जय भोले मिष्ठान भंडार ललित राजपाल द्वारा 52० वर्ग फीट टेंट, न्यू भूपालपुरा पंकज नमकीन पंकज साहू द्वारा 570 वर्गफीट मे क्षेत्र में टेन्ट लगाकर मिठाई का काउन्टर लगाकर अतिक्रमण कर यातायात बाधित किया गया।

आयुक्त के अनुसार सार्वजनिक सडक पर अतिक्रमण धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत् दण्डनीय है। सार्वजनिक सडक/भूमि पर अतिक्रमण करना धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दडनीय अपराध है। धारा 245 के तहत सार्वजनिक सडक एवं भूमि पर स्थाई अतिक्रमण पर न्यूनतम 3 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक का सादा कारावास व न्यूनतम 30 हजार से अधिकतम 50 हजार रूपये जुर्माने से दंडनीय है। उक्त सभी को धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत् नोटिस जारी किये है। मामले में न्यायालय मे चालान पेश किया जायेग ओर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कल से

उदयपुर, (कासं)। कैंसर उपचार के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ट्रेण्ड्स ऑफ ट्रांसफोर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी का आयोजन पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेनकेन फाउण्डेशन और कैंसर रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक फाउण्डेशन की ओर से 22 से 24 अगस्त तक आयोजित होगा।

पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने कहा कि यह आयोजन कैंसर उपचार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रोग्राम डॉयरेक्टर डॉ.मनोज महाजन ने बताया कि इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न शहरों से 100 से अधिक कैंसर रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता और चिकित्सक शामिल होंगे। डॉ. मनोज ने बताया कि उदयपुर में लगातार पांचवी बार कैंसर रोग विशेषज्ञों की कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में चिकित्सकों को कैंसर उपचार की नवीन तकनीकों और उपयोग के तरीकों के बारे जानने का अवसर मिला था। इस बार सम्मेलन से आम जनता को जोड़ने के लिए और कैंसर रोग में सैकेण्ड ऑपिनियन के लिए जापान से आए डॉ.गुयेन दुय सिन्ह, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुम्बई से अनुभव प्राप्त डॉ. विजय पाटिल और डॉ.आशय कर्पे की ओपीडी 22 से 24 अगस्त तक सनराइज कैंसर केयर क्लिनिक, सौभागपुरा में रखी गयी है जिसमें मरीज विशेषज्ञ से उपचार के लिए सलाह प्राप्त कर सकेंगे।

उदयपुर फाइल्स के निर्माता की तबीयत बिगड़ी

उदयपुर, (कासं)। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित मूवी उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी की मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड गई। उन्हें उदयपुर शहर के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उनके साथ मूवी के डायरेक्टर भरत सिंह श्रीनेत भी हैं। निर्माता अमित जाना डायरेक्टर श्रीनेता और कन्हैयालाल के बेटे यश तेली देर शाम अहमदाबाद से लौटकर उदयपुर आ रहे थे।

उदयपुर पहुंचने के कुछ समय बाद उन्हें अचानक सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया । उदयपुर के आईनॉक्स थियेटर में होने वाला मूवी स्क्रीनिंग का कार्यक्रम भी स्थगित करना पडा। जिसमें सभी शामिल होने वाले थे। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

भीसे LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय- श्रीमती निर्मला कुंवर शक्तावत श्रीमती सीमा कुंवर सोलंकी एण्ड श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड, एम.एल.न. 12/2024 (क्षैत्रफल 1.8054 हेक्टेयर) ''क्वार्ट्ज फैल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन'', ग्राम-माल की टूस तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला कुंवर शक्तावत, श्रीमती सीमा कुंवर सोलकी एण्ड श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड,एम.एल न. 12/2024 (क्षेत्रफल 1.8054 हैक्टेयर)''क्वार्ट्ज, फैल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन'', ग्राम-माल की टूस, तहसील-वल्लभनगर जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना ''क्वार्ट्ज, फैल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन'' माईन (एम. एल.न. 12/2024, क्षैत्रफल 1.8054 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,61,020 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र), 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-वल्लभनगर जिला-उदयपुर। 7) सरपंच ग्राम माल की टूस तहसील वल्लभनगर, जिला-उदयपुर। 8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र मादडी उदयपुर (राज)।

अत: सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तपरियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 03.10.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टूस तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षैत्रीय अधिकारी

अध्यक्ष पद पर सुथार निर्वाचित

उदयपुर, (कासं)। विश्वकर्मा जांगिड़ विकास संस्था की अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी के चुनाव 17 अगस्त रविवार को आयोजित साधारण सभा में संस्था भवन में सम्पन्न हुए। प्रातः 9.00 बजे साधारण सभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता कन्हैया लाल शर्मा ने की और सचिव भैरूलाल सुथार ने एजेंडा अनुसार सभा का संचालन करते हुए सालाना प्रतिवेदन पेश किया। कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र सुथार ने आय - व्यय विवरण पेश किया और अध्यक्षीय धन्यवाद के पश्चात् मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. सी. आर. सुथार ने चुनाव हेतु मतदान की घोषणा की। साधारण सभा में अभूतपूर्व 623 सदस्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। देर रात तक गणना के पश्चात् मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर डा. सी. आर. सुथार द्वारा परिणाम घोषित किये गये।परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर एड. भैरू लाल सुथार ने 604 मत प्राप्त कर श्री बालकृष्ण शर्मा के मुकाबले 593 मतो से विजय प्राप्त की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार जांगिड़ ने 594 मत प्राप्त कर श्री नारायण लाल शर्मा अध्यक्ष अ.भा.जां.ब्रा.महासभा के मुकाबले 574 मतो से विजय प्राप्त की।

'निराश्रित घूम रहे गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने की करें कार्यवाही'

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में बुधवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में सार्वजनिक स्थलों एवं सडकों पर विचरण कर रहे निराश्रित/लावारिस गोवंश की समस्या के समाधान हेतु बैठक आयोजित हुई। इसमें नगर निकाय, पंचायती राज, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सडकों व सार्वजनिक स्थलों पर निराश्रित गोवंश की समस्या के स्थायी समाधान हेतु विभागवार निर्देश दिए गए।

जिला कलेक्टर के कहा कि नियमानुसार निराश्रित गोवंश को पकडकर गोशालाओं/कांजी हाउस में स्थानांतरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नगर निगम अपने क्षेत्र को स्ट्रे कैटल फ्री जोन घोषित करें तथा गोवंश पकडने हेतु विशेष वाहन व दल गठित किए जाएं तथा जुर्माना आदि कार्रवाई की नियमित मोनिटरिंग की जाए। ग्राम स्तर पर समितियां गठित कर गोवंश के नियंत्रण एवं नियोजन की जिम्मेदारी निभाएं। राजमार्गों पर आवारा गोवंश की आवाजाही रोकने हेतु आवश्यक बैरिकेट्स लगाए जाएं। जहां निराश्रित पशुओं की अधिकता है, वहां सावधानी हेतु चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। गोवंश को नियंत्रित करने हेतु कैटल कैचर वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश की नसबंदी एवं टीकाकरण का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। मादा बछड़ों में जन्म दर नियंत्रण हेतु सेक्स सॉटेड सीमन का उपयोग बढ़ाया जाए। रोगग्रस्त अथवा घायल गोवंश को तत्काल चिकित्सा सुविधा एवं आश्रय प्रदान किया जाए। निराश्रित गोवंश से दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात व्यवस्था में सुधार किया जाए। संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त गश्त एवं यातायात नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार की गोकल्याण योजनाओं से अनुमोदित गोशालाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाए एवं गोशालाओं में चारे व चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

बेडसा में शराब दुकान का विरोध

डूंगरपुर, (निसं)। झौंथरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बेडसा के निवासियों ने बुधवार को सीमलवाडा एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव में खोली गई शराब की दुकान और गोदाम को बंद करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रशासक के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी के साथ अपना विरोध दर्ज कराया।

(प्रपत्र संख्या - 7)
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)

नोटिस

पत्रावली संख्या: 119/2025/3084 दि. 18/8/25

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो को

चूकि श्री कमल कुमार जैन, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत श्री दिगम्बर जैन दशा हुमड समाज संस्था, 1108, हिरण मगरी सेक्टर-4, उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनाक18/8/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी पेशी तारीख 29/10/25 की रखी गयी है।

मोहर

(जतीन कुमार गाँधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7(12)PLAN/LANDUSE/2024-25/1272 **आम सूचना** दिनांक : 19/08/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता मे समय-समय पर जारी आदे पज/ परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री भरत लाल कलाल पिता श्री धर्मनारायण कलाल	I सवीना	1021 से 1024, 1076 से 1086	01	2940.00 वर्गफीट	खेडा सर्कल से सुहालका भवन जाने वाली 100 फीट सडक पर आर्ची सॉलिटेयर कॉम्पलेक्स के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

नेहरू हॉस्टल की जमीन का होगा अधिग्रहण

उदयपुर, (कासं)। शहर विधायक ताराचंद जैन के शहर में सडको के सुदृढीकरण के लिए किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे है। हिरणमंगरी मुख्य रोड को चौडा करने के लिए नेहरू हॉस्टल की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, इसके लिए यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने सहमति दे दी है और इस फाईल को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के पास भेज दी है।

इसके साथ ही शक्ति नगर बॉटल नेक हटाने में जिन लोगों के भूखण्ड का हिस्सा गया है, उनके भूखण्ड आवंटन की फाईल को भी शहर विधायक जैन ने प्रयास कर कैबिनेट तक पहुंचा दी है और कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय हो जाएगा। विधायक ताराचंद जैन ने जयपुर में स्वायत्त शासन सचिव झाबरसिंह खर्रा से मुलाकात की और उन्होंने नेहरू हॉस्टल की जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता के बारे में बताया। विधायक जैन ने बताया कि हिरणमगरी से सेवाश्रम की ओर जाने वाले राहगीरों और शहरवासियों को रास्ता नहीं होने से रांग साईड से होकर जाना पडता है और दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। विधायक जैन ने बताया कि पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है।

ऐसे में यदि नेहरू हॉस्टल की जमीन अधिग्रहित कर ली जाए और सेवाश्रम पुलिया के पास में ही एक अन्य रोड बना दी जाए तो नेहरू हॉस्टल के पीछे की कॉलोनियों में जाने के लिए सडक मिल जाएगी। साथ ही बताया कि सडक पर करीब 200 मीटर तक नेहरू हॉस्टल की दीवार है और इसमें करीब 110 मीटर की दीवार यूडीए की जमीन पर बनी है, जिस पर यूडीए सडक बनाने को सहमत और यदि 90 से 92 मीटर लम्बी और 6 मीटर चौडी जमीन नेहरू हॉस्टल से अधिग्रहण कर लिया जाए तो एक नया रास्ता मिल जाएगा, जिससे शहरवासियों को राहत होगी। शहर विधायक ताराचंद जैन ने प्रयास कर शक्ति नगर में कुछ मकानों के हिस्सों को अधिग्रहित बॉटल नेक तोड नया रास्ता बनाया है उनके लिए भूखण्ड आवंटन करने वाली फाईल को भी कैबिनेट तक पहुंचा दी है। अब कैबिनेट की बैठक में इस मामले में निर्णय होगा। स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा से चर्चा के दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने नगर निगम और यूडीए में अधिकारियों की कमी पर भी चर्चा की।

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द, जिला राजसमन्द

क्रमांक:न.प.रा./भू.रूपा./2025/398 दिनांक: 20/08/2025

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री छगनलाल चन्देल निवासी जलचक्की कांकरोली द्वारा राजस्व ग्राम किशोरनगर आराजी संख्या 1144/1136 रकबा 0.0287 हैक्टेयर, भूमि का आवासीय भूमि की जो प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द के निर्णय दिनांक 193-96 दिनांक 10.07.2025 द्वारा 90-क के तहत बिलानाम न.प.रा. दर्ज की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमे निम्न आवेदकों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन कराने हेतु आवंटन शपथ पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र.स.	नाम आवंटी का	भू. सं.	वर्गमीटर
1	श्री संजय कुमार मादरेचा पिता श्री स्व.ख्यालीलाल मादरेचा निवासी 100 फीट रोड़ व्हाईट हाउस अरिहन्त विहार कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।	-	240.70

अत: इस संबंध में किसी हितकारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना जारी तिथि के 7 दिवस में लिखित में मय सबूत दस्तावेज के परिषद में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मयाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद, राजसमन्द

कार्यालय ग्राम पंचायत लकु का लेवा, पंचायत समिति लसाड़िया, जिला सलुम्बर (राज.)

क्रमांक:-51 दिनांक-18.08.2025

-: ई निविदा सूचना-01/2025-26 :-

ग्राम पंचायत लकु का लेवा में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 25.07.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No 1 ZUD2526GLOB01724

प्रशासक ग्राम पंचायत लकु का लेवा | **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लकु का लेवा**

कार्यालय ग्राम पंचायत खरपीना पंचायत समिति गिर्वा, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-GP-2025-26/36 दिनांक-25.07.2025

-: ई निविदा सूचना-02/2025-26 :-

ग्राम पंचायत खरपीना में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 29.08.2025 सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका UBN No.ZUD2526GLRCO1754 है।

प्रशासक ग्राम पंचायत खरपीना पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर | **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खरपीना पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर**

जिंसों पर 50 पैसे यूजर चार्ज के विरोध में उतरे व्यापारी

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार की और से गैर अधिसूचित जिंसों पर 50 पैसे यूजर चार्ज लागू किए जाने के विरोध में उदयपुर की कृषि मंडी में बुधवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार की और से लगाए यूजर चार्ज को लेकर मंडी बंद रही। कृषि मंडी के गेट नंबर एक पर जुटे व्यापारियों ने यूजर चार्ज को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

व्यापारियों ने बताया कि इससे आम आदमी और किसानों की जेब पर भार बढेगा और व्यापारी भी लगातार हिसाब.किताब तैयार करने में उलझा रहेगा। ऐसे में इस यूजर चार्ज को वापस लिया जाए नहीं तो व्यापारी लगातार आंदोलन करेंगे।इस दौरान मंडी के अंदर सभी गेट बंद थे और अंदर सभी गलियों में दुकानें बंद थी। मंडी में सन्नाटा छाया हुआ था। गेट नंबर एक और गेट नंबर 2 के अंदर वाहनों के प्रवेश भी नहीं हुआ और गेट बंद कर दिए गए। उदयपुर दाल.चावल व्यापार संघ के नेतृत्व में कृषि मंडी व्यापार संघ से जुडे संगठनों ने बुधवार से बंद का आव्हान करते हुए आंदोलन पर उतर गए।

संघ के पदाधिकारी मनीष मारू ने कहा कि सभी संगठनों ने मिलकर इसका विरोध जताया है।उदयपुर के कृषि उपज मंडी के अंदर बुधवार को बाजार बंद रहे।मारू ने बताया कि हमारा मसकद है कि व्यापारियों पर थोपा गया ये टैक्स वापस लिया जाए। इससे व्यापारी और जनता पर मार पडेगी और वह टैक्स पर ही उलझा रहेगा। मारू ने कहा कि इससे इंस्पेक्टर राज बढेगा। व्यापारी चिराग बंसल ने बताया कि एक तेल का डिब्बा दो से ढाई हजार में बिक रहा है तो उस पर 1० से 15 रुपए अतिरिक्त यूजर चार्ज लग जाएगा। किसान और आम आदमी पर भर भार पढेगा। व्यापारियों का कहना है कि गैर अधिसूचित जिंसों ;जैसे दाल,चावल,मसाले,खाद्य तेल आदि, पर 50 पैसे प्रति 10०रुपए का यूजर चार्ज सीधे व्यापार लागत बढा देता है। इसका असर थोक से खुदरा तक कीमतों पर पडेगा।

जुलूस में आतिशबाजी पर रोक

उदयपुर, (कासं)। अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर की बुधवार को सम्पन्न बैठक में आगामी माह में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय जश्न को अकीदत से मनाने के लिए अहम फैसले लिए गये।बैठक में सर्व सम्मति से लिए गए फैसले के अनुसार इस अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

बच्चों की त्वचा से जुड़ी समस्याएं?

GMCH GEETANJALI HOSPITAL HEALTH IS HAPPINESS

निःशुल्क पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी (बाल त्वचा रोग) परामर्श शिविर

20 से 30 अगस्त 2025
*रविवार अवकाश रहेगा
10:00 AM to 03:00 PM

शिविर में मिलने वाली सुविधाएं:
निःशुल्क परामर्श | 50% छूट स्किन बायोप्सी व स्किन एलर्जी टेस्ट (IgE level) | 50% छूट अन्य त्वचा संबंधित लैब जांचें

लक्षण:
बार-बार त्वचा पर दाने, चकत्ते या खुजली | जन्मजात त्वचा विकृतियां (बर्थ मार्क्स आदि)
एक्जिमा, सोरायसिस जैसी एलर्जीजन्य त्वचा बीमारियां | फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन
पिगमेंटेशन (त्वचा पर दाग-धब्बे) | बाल झड़ना या असामान्य बाल विकास (गांजापन)
मुंहासे (Acne), त्वचा में सूजन व लालिमा | किसी भी त्वचा रोग का पुराना उपचार न मिलना

पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा इलाज:
- एटोपिक डर्मेटाइटिस (एक्जिमा)
- एलर्जी स्किन डिज़ॉर्डर्स
- मुंहासे (Acne Vulgaris)
- बैक्टीरियल व फंगल स्किन इन्फेक्शन्स
- बाल और नाखुन डिज़ॉर्डर्स (एल्पेसिया, नेल डिस्ट्रॉफी)
- विटिलिगो (सफेद दाग)
- जेनेटिक स्किन डिज़ॉर्डर्स

अत्याधुनिक स्किन टेस्टिंग व लेजर ट्रीटमेंट की सुविधा

पूर्ण रूप से समर्पित PICU & NICU सेवाएं

बाल व शिशु रोग विभाग, 1st फ्लोर
73000 81575

24/7 आपातकालीन सेवा उपलब्ध

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS)
सभी सरकारी, निजी, टी.पी.ए. (TPA) व इन्श्योरेन्स से अधिकृत।

गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल
एकलिंगपुरा चौराहा के पास, उदयपुर (राज.) 0294 2500044